छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक / एफ 5–18 / 2019 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16 / 09 / 2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),
भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियेट बिल्डिंग,
व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन,
नागपुर (महाराष्ट्र) – 440001।

विषयः– Diversion of 10.469 ha of forest land in favour of Public Works Department Division-Koriya (Manendragarh) for Widening and Upgradation of Road from Amarpur to Chirmiri Road in Koriya, District in the State of Chhattisgarh -regarding.

संदर्भः– 1. आपका पत्र क्रमांक FC-II/CH-126/2019-NGP/6071, दिनांक 09.01.2020।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / विविध / 115–705 / 1553, दिनांक 25.08.2020।

---00---

विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1, दिनांक 09.01.2020 के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी चाही गई है ।

2/– उक्त जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्रमांक 2, दिनांक 25.08.2020 के माध्यम से इस विभाग को प्रेषित की गई है, जिसकी छायाप्रति पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(अभिषेक कुमार सिंह)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक / एफ 5–18 / 2019 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16 / 09 / 2020

प्रतिलिपि :–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

D/FCA/ Latter-N/Lalit

F-5.18/2019/10-2 292

पंजी क्रमांक F-C-377 /201/10-2/वन दिनांक 28/8/2020

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–705/1553 नवा रायपुर, दिनांक 25/08/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः– **Diversion of 10.469 ha. of Forest Land in favour of Public Works Department, Korea (Manendragarh) for Widening and Upgradation of Road from Amarpur to Chirmiri Road in Korea District in the State of Chhattisgarh - regarding.**
पंजीयन क्रमांकः– FP/CG/RAOD/8090/2014

संदर्भः
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र कमांक No.FC-II /CH-126/2019-NGP/ 6071 दिनांक 09.01.2020
2. वन मंडलाधिकारी कोरिया वन मंडल का पत्र क्रमांक/ तक.क./603 दिनांक 04.06.2020
3. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा.चि./न. क्र.–89/2020/ 962 दिनांक 13.07.2020

※ ※ ※ ※ ※

उक्त प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर को छ.ग. शासन के पत्र दिनांक 21.11.2019 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था जिसके उपरांत संदर्भ पत्र–1 द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर ने 8 बिन्दुओं की जानकारी चाही है।

संदर्शित पत्र–2 के आधार पर संदर्भित पत्र–3 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त द्वारा उक्त जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

1	Part - I and part - II have been submitted without mentioning date of submission futher, part -II and V has been submitted without mentioning date of submission.	फार्म – 1 एवं फार्म – 2 में दिनांक का उल्लेख करते हुए सत्यापित जानकारी प्रस्तुत है। संलग्न संदर्भ पत्र–2 **(पेज क्रमांक 3 से 8 तक)**
2	Complete tree enumeration detail of 562 project affected trees has not been submitted, same need to be submitted.	उक्त मार्ग में कुल 562 वृक्ष प्रभावित हो रहे है, प्रभावित वृक्षों का गोशवारा पत्रक चेक लिस्ट क्रमांक 12 में संलग्न किया गया है। परन्तु गणना पत्रक त्रुटिवश संलग्न नही किया गया था। वृक्षों का गणना पत्रक (enumeration detail) प्रस्तुत है। संलग्न संदर्भ पत्र–2 **(पेज क्रमांक 9 से 31 तक)**
3	For want of detail examination, single KML file of entire road alignment dully highlighting proposed forest area for division need to be submitted .	प्रस्तावित मार्ग के सम्पूर्ण संरेखण का एकल के.एम.एल. फाईल सीडी में प्रस्तुत है। संलग्न संदर्भ पत्र–2 **(पेज क्रमांक 32 से 32 तक)**

- 250 -Letter Vividh 2020 (1)

आवक क्र. 1830 प्रमुख सचिव/वन/ दिनांक 26/8/20
कार्यालय प्रमुख सचिव, वन विभाग जावक क्रमांक 3678 दिनांक 25 AUG 2020

4	Examination of compliance of schedule tribe and other traditional forest dwellers (Recognition of forest Rights) Act 2006 releaved that original certificate of District Collector resolution of Gram sabha along with proceedings of meetings have been submitted.	अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार अधिनियम 2006) के अंतर्गत ग्राम पंचायत पोटेडांड़ ग्राम टेंगनी में ग्राम सभा दिनांक 10.10.2014 को किया गया था। ग्राम सभा बैठक प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा कलेक्टर कोरिया द्वारा प्रदायित वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 26.08.2017 चेक लिस्ट क्रमांक 34 के परिपेक्ष्य में मूल प्रति भेजी जा चुकी है। कार्यालय में उपलब्ध प्रति की सत्यापित प्रति पुनः प्रस्तुत है। प्रकरण की प्रकृति लीनियर है तथा कलेक्टर ने वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 26.08.2017 में यह उल्लेख किया हुआ है कि प्रस्ताव में प्रीमिटिव ट्रायवल ग्रुप तथा प्री एग्रीकल्चरल समुदाय के पहचान किये गये अधिकार सम्मिलित नहीं है। हॉलाकि ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण संलग्न कर दिया गया है लेकिन उक्त कारण से इससे छूट भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार दी जा सकती है। संलग्न संदर्भ पत्र–2 **(पेज क्रमांक 33 से 38 तक)**
5	Details of all structures like bridges, minor bridges, culverts (box culverts or and underpasses) proposed in forest land may be submitted by state Government.	इस जानकारी के परिपेक्ष्य में आवेदक विभाग द्वारा यह बताया गया है कि प्रस्तावित मार्ग में कुल 15 नग Hume Pipe Culvert, 7 ux RCC slab Culvert 1.50 m long एवं 2 ux RCC slab Culvert 6.00m long का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। पुल/पुलिया का विवरण प्रस्ताव में पृष्ठ क्रमांक 29 उल्लेख किया गया है। पुल/पुलिया का विवरण प्रस्तुत है। संलग्न संदर्भ पत्र–2 **(पेज क्रमांक 39 से 42 तक)**
6	Details of realignments or by passes, if any proposed in forest land under instant proposal may be submitted.	इस जानकारी के परिपेक्ष्य में आवेदक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्ताव में वन क्षेत्र अंतर्गत मार्ग के संरेखण में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जाना है और ना ही उक्त मार्ग में कोई बाईपास सड़क का प्रस्ताव सम्मिलित है। उक्त जानकारी के परिपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत है। संलग्न संदर्भ पत्र–2 **(पेज क्रमांक 43 से 43 तक)**
7	Details of employment potential in terms of mand days of skilled, semiskilled and unskilled persons on permanent (direct and indirect) and temporary (direct and indirect) basis have not been provided.	इस जानकारी के परिपेक्ष्य में आवेदक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मार्ग के निर्माण कार्य के दौरान अस्थायी तौर पर 10 कुशल 5 अर्द्वकुशल एवं 15 अकुशल मानव दिवस प्रतिदिन उत्पन्न होने की सम्भावना है। उक्त जानकारी

		के परिपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत है। संलग्न संदर्भ पत्र–2 **(पेज क्रमांक 44 से 44 तक)**
8	An undertaking may be obtained from the user agency, in accordance with the MoEF & CC's Guidelines dated 07.01.2013	इस जानकारी के परिपेक्ष्य में आवेदक विभाग द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 07.01.2013 सभी नियमों के पालन किया जावेगा। संलग्न संदर्भ पत्र–2 **(पेज क्रमांक 45 से 45 तक)**

मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त से प्राप्त जानकारी अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया जानकारी भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर को उपलब्ध कराने का अनुरोध है।

संलग्नः– संदर्भित पत्र – 2 की छाया प्रति (03 पृष्ठीय) तथा
संलग्नक क्रमांक 1 से 45 तक (45 पृष्ठीय)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 705/ 1554 रायपुर, दिनांक 25 /08/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, सरगुजा वृत्त, सरगुजा, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, कोरिया वन मंडल, कोरिया, छत्तीसगढ़।
3. **कार्यपालन अभियंता**, लोक निर्माण संभाग, कोरिया संभाग, मनेन्द्रगढ़, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़